

प्रपत्र-30

(For Linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

No-339/XXVI- A.C.II (2021-2022) 19/11-08-04-2022

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's Letter No. 11-98-FC (pt.) 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other traditional Forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be divert for non-forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 1.68 hectares of Forest land proposed to be diverted in favor of Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL) (a Government of Uttarakhand Undertaking) for "Development of 33 KV Transmission line for 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karnaprayag for RVNL in state of Uttarakhand" which falls within jurisdiction of Village in Pawaki Devi Teshil under Tehri Garhwal Districts.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.68 Hectares of Forest area proposed of diversion, a copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s), Gram Sabha (s), Sub-divisional level committee (s) and the district level committee are enclosed annexure 30.1 & 30.2
- The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Group and pre-agricultural communities

Encl.: As above

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
टिहरी गढ़वाल

127

Office of the District Collector Tehri Garhwal

District Tehri Garhwal (Uttarakhand)

Proceedings of meeting of District Level Committee constituted under Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of District Tehri Garhwal (Uttarakhand) District Magistrate, Tehri Garhwal on date 15/03/2022 at Tehri Garhwal in which the application claiming rights in Pawaki Devi tehsil area measuring 1.68 hectares for "**Development of 33 KV Transmission line 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karnaprayag for RVNL in state of Uttarakhand**" of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divisional level committee of Pawaki Devi Teshil at Narendra Nagar under Tehri Garhwal District were discussed to consider the same for admission by district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objections/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for said purpose.

Place:

Dated:


District Magistrate, Tehri Garhwal,
जिलाधिकारी
Cum
टिहरी गढ़वाल
Chairman District Level Committee

(128)

It is further certified that – Minutes of meetings of " Development of 33 KV Transmission line 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karnaprayag for RVNL in state of Uttarakhand" regarding FRA is as following:-

S.No		Remarks
(a)	For complete process for identification and settlement of right under FRA has been carried out for 0.8511 Hectares of Forest area proposed for diversion. A copy of record and consultations and meetings of forest rights Committee(s), Sub Division level Committee(s).	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section3(2) of FRA have been completed.	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal groups and Pre-Agriculture Communities.	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers

District Collector
(Tehri Garhwal)

Divisional Forest Officer
Narendra Forest Division
Muni-ki-Reti, Rishikesh
मनि-की-रेती

जिला समाज कल्याण अधिकारी
District Social Welfare Officer
टिहरी गढ़वाल

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

उमिला पुण्डीर
सदस्य जिला पंचायत
बार्ड-44, तपोवन, नरेन्द्रनगर
टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र - 30.1

परियोजना का नाम : उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 (प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.68 है०) तक निर्माण कार्य।

कार्यालय उपजिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल
अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

अनापत्ति प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड राज्य में जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत 126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 है० वन भूमि जो कि ग्राम ~~चमली~~, ~~तिमली~~ ~~खुब बवाणा~~ में स्थित है या क्षेत्र से हो कर गुजरती है, का उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में उपजिलाधिकारी कार्यालय में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपखण्ड स्तरीय समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेंद्रनगर (टिहरी गढ़वाल, जिला) परिक्षेत्र के अंतर्गत 126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जिला टिहरी गढ़वाल, ग्राम ~~चमली~~, ~~तिमली~~, ~~खुब बवाणा~~ में 126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 है० वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (परियोजना एजेंसी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कार प्रत्यावर्ती किये जाने पर सहमती व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील ~~सावकी देवी~~
जनपद ~~टिहरी गढ़वाल~~
NAREN

प्रतिलिपि:— जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

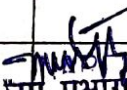
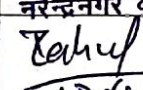
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील ~~सावकी देवी~~
जनपद ~~टिहरी गढ़वाल~~
NAREN

130

कार्यालय उपजिलाधिकारी नरेंद्र नगर (टिहरी गढ़वाल, जिला)

उपखण्ड स्तरीय समिति

आज दिनांक 07.03.2022 का परियोजना का नाम : उत्तराखण्ड राज्य में जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत 126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 है० वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के संबंध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	स्वर्ण सिंह नेगी	उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष	
2	श्री मन्मोहन सिंह बिष्ट	उप प्रभागीय वनाधिकारी	 SDM उप प्रभागीय वनाधिकारी (नरेंद्रनगर) नरेंद्रनगर वन प्रभाग
3	राहुल पुष्पा सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	 AD (SK) N.W.G. Div
4	उर्मिला पुण्डरी	जिला पंचायत सदस्य	उर्मिला पुण्डरी सदस्य जिला पंचायत ब्लॉक-44, उपखण्ड, नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :-126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 (प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.68 हे०) तक निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चमैली

तहसील पाप्की देवी, जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० सिविल सोयम भूमि, ,0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.68 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चमैली द्वारा दिनांक १५-१०-२१ को संपन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदिन वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं।

समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्तावित पारित किया गया कि ग्राम सभा चमेली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा कि सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर/-

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम चमेली,
ग्राम सचिव चमेली

हस्ताक्षर/-



नोट:- *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त पत्र में दिया जाए।

दिनांक 25-10-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चैमली

[illegible]

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :-126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 (प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.68 हे०) तक निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तिमली

तहसील पावकी देवी जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० सिविल सोयम भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.68 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तिमली द्वारा दिनांक 29-12-21 को संपन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदिन वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं ।

समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

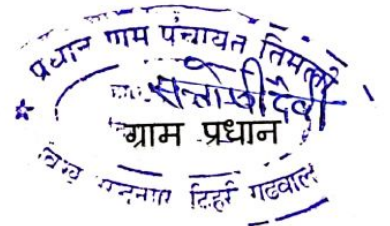
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्तावित पारित किया गया कि ग्राम सभा हिमाली.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा कि सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर/- 
अधिसासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि०
नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)

सतीषी देवी
हस्ताक्षर/-

ग्राम सचिव 
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...
वि० ख० नरेन्द्र नगर
जनपद-टिहरी गढ़वाल



नोट:- *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त पत्र में दिया जाए।

दिनांक २९-१२-२१ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत हियली

[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत
ह.० / स.व. वि. वि.
ग्राम प्रधान
वि. वि. गढ़वाल

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :-126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 (प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.68 हे०) तक निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बवाणी.....

तहसील पावकी देवी जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० सिविल सोयम भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.68 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बवाणी..... द्वारा दिनांक 11-11-21.....को संपन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक मे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदिन वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं ।

समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्तावित पारित किया गया कि ग्राम सभा बलाणी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर/-

अधिकांशी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि०
नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि० ख० नरेन्द्र नगर
जनपद-टिहरी गढ़वाल

हस्ताक्षर/-



नोट:- *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त पत्र में दिया जाए।

दिनांक 11-11-21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बवाणी

[illegible]